न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /16 निगरानी R 65 – I–17

धनीराम पुत्र छुट्टे जाति जाटव निवासी ग्राम सेंथरी तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया

.... आवेदक

विरुद्ध

1. पंचम सिंह
2. चन्दन सिंह
3. शिवचरण पुत्रगण वेदराम जाति बघेल

.... असल अनावेदकगण

4. गोटीराम
5. हरप्रसाद
6. प्रेमनारायण पुत्रगण छुट्टे
7. चन्द्रप्रकाश
8. कमलेश पुत्रगण रामदास जाति कुशवाह समस्त अनावेदकगण ग्राम सेंथरी तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध तहसीलदार तहसील के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से निगरानी प्रस्तुत करता है।

1. यहकि, अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में अनावेदकगण क्रमांक 1, 2, 3 ने अधीनस्थ तहसीलदार के यहां एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 प्रस्तुत किया।
2. यहकि, सर्वे क्रमांक 252 रकवा 0.090 हेक्टेयर मौजा सेंथरी वर्तमान राजस्व अभिलेखों में पंचम सिंह, चंदन सिंह, शिवचरण पुत्रगण वेदराम बघेल के नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है एवं आधिपत्यधारी भी हैं।
3. यहकि, अनावेदकगण क्रमांक 1 से 3 ने उपरोक्त आराजी का सीमांकन दिनांक 10.7.15 को विधिवत कराया। सीमांकन में आधा रकवा सर्वे

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधि० द्वारा आज दि. 3-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Shrivastav Pradeep Kumar Shrivastav Advocate

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–65–एक/2017 जिला–दतिया

धनीराम विरूद्ध पंचम सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील इन्दरगढ़, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5 सदस्य	